संख्या 519/XIV-1/2008

प्रेषक,

अनूप वधावन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियाँ,
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभागः-1 देहरादून दिनॉक 22 जुलाई, 2008

विषयः-सहकारी सहभागिता योजना के अन्तर्गत सामान्य कृषकों, लघु एवं सीमान्त तथा बी0पी0एल0 परिवारों को सहकारी बैंकों /संस्थाओं द्वारा कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 569/नियो0/सह0 सह0 यो0/2008-09 दिनांक 6.5.2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य में सहकारी आन्दोलन को गतिशीलता प्रदान किये जाने के उद्देश्य से सामान्य कृषकों, लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा बी0पी0एल0 परिवारों द्वारा लिये जाने वाले सहकारी ऋणों पर ब्याज दरो में कमी कर आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु श्री राज्यपाल सहकारी सहभागिता योजना प्रारम्भ किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त योजना के अन्तर्गत सामान्य कृषकों, लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा राज्य के बी0पी0एल0 परिवारों द्वारा सहकारी संस्थाओ के माध्यम से अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन फसली/ कृषि ऋण एवं आवास निर्माण हेतु वितरित ऋणों पर चालू ब्याज दरों का अधिकतम् 4 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

3. सहकारी सहभागिता योजना की विशिष्टतायें एवं शर्तें निम्नवत है-

(1) उक्त योजना दिनांक 1 अप्रेल 2008 से 31 मार्च 2011 (तीन वर्षों) तक स्वीकृत ऋणो पर लागू होगी अर्थात उक्त अवधि के दौरान जिन सामान्य कृषकों, लघु एवं सीमान्त कृषक तथा बी0पी0एल0 परिवार के सदस्यों द्वारा ऋण लिया जायेगा, को ही अनुदान देय होगा।

(2) योजनान्तर्गत केवल सामान्य कृषक, लघु एवं सीमान्त तथा बी0पी0एल0 परिवार के कृषक आच्छादित होगें तथा एक परिवार के एक ही सदस्य को योजना का लाभ अनुमन्य होगा।

(3) सामान्य कृषकों, लघु एवं सीमान्त कृषक तथा बी0पी0एल0 परिवार का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित/ घोषित ऐजेन्सी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र/ मापदण्ड के आधार पर किया जायेगा।

(4) उक्त योजना का लाभ सहकारी बकायेदार सदस्यों को अनुमन्य नही होगा।

(5) यदि पात्र लाभार्थी/ कृषकों को योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृत किया जाता है और वह अपने ऋण का भुगतान निर्धारित तिथि के अन्तर्गत नही कर पाता है, तो उस सदस्य को उक्त योजना का लाभ नही दिया जायेगा और उससे चालू सामान्य ब्याज दर के अनुसार वसूली की जायेगी।

(6) आवास ऋण की अधिकतम सीमा योजनान्तर्गत 1.00 लाख (रूपये एक लाख) रूपये होगी और लाभार्थी को एक बार ही भवन निर्माण/ विस्तार हेतु ऋण उपलब्ध होगा।

(7) सहकारी समिति/जिला सहकारी बैंक/शीर्ष सहकारी बैकं के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा योजना के अनुरूप वित्तीय प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु क्लेम निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड को प्रस्तुत करने के उपरान्त निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के उपरान्त शासन द्वारा प्रतिपूर्ति की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(8) योजनान्तर्गत स्वीकृत ऋणों की त्रैमासिक प्रगति जनपदवार अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। छःमासिक समीक्षा के उपरान्त ही प्रतिपूर्ति अंश की स्वीकृति की जायेगी ।

(9) योजना को जनपद स्तर पर प्रभावी रूप से कियान्वित किये जाने हेतु जनपदो में जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, नोडल अधिकारी होगें।

4. उक्त योजना के अन्तर्गत लाभार्थी द्वारा सहकारी संस्थाओ से अल्पकालीन /मध्यकालीन, दीर्धकालीन एवं आवासीय ऋणों पर पड़ने वाले ब्याज दर एव उस पर शासन /जिला सहकारी बैकों द्वारा वहन किये जाने वाले व्यय भार वहन करेगें।

5. उक्त सहकारी योजना के अधिकाधिक लाभ हेतु व्यापक प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक सामान्य कृषक, लघु एवं सीमान्त कृषक तथा बी0पी0एल0 परिवारों को लाभान्वित किया जाये।

राज्य सरकार द्वारा व्यय वहन करने वाली धनराशि की स्वीकृति निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड द्वारा आंगणित धनराशि की स्पष्ट मांग के पश्चात तद्नुसार बजट में अनुमन्य धनराशि की प्रतिपूर्ति के रूप में दी जायेगी एवं अग्रिम भुगतान अनुमन्य नही होगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या– 115 (P)/XXVII-4- 2008, दिनांक 22.07.2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

अनूप वधावन
सचिव।

संख्याः–S190/XIV–1/2008,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल।
3. अपर निबन्धक,सहकारी समितियां, उत्तरांचल।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि0, उत्तरांचल।
5. समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तरांचल।
6. समस्त सचिव/ महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैकं लि0, उत्तरांचल।
7. निदेशक, एन0आई0सी0,उत्तरांचल।
8. वित्त/नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन ।
9. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
अनुसचिव।